उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
14 – अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
CIN : U32201UP1999SGC024928

संख्या : 991 –पें0एवंआर0–28 / पाकालि / 16–60–पी / 98 दिनांक : 07 अक्टूबर, 2016

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 शासन द्वारा दिनांक 01.01.2006 के पूर्व सेवानिवृत्त अपने सिविल पेन्शनरों / पारिवारिक पेन्शनरों के पेन्शन / पारिवारिक पेन्शन के अभिनवीकरण / पुनरीक्षण विषयक निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या–सा–3–1515 / दस–2008 / 308 / 97 दिनांक 08.12.2008 को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं वितरण कम्पनियों एवं ट्रांस्को के पेन्शनरों / पारिवारिक पेन्शनरों हेतु अन्य संगत शासनादेशों सहित कार्यालय ज्ञाप संख्या–397–पें0 एवंआर0–28 / पाकालि / 09–60पी / 98 दिनांक 02.03.2009 द्वारा कतिपय संशोधनों सहित अंगीकृत करने के अनुक्रम में दिनांक 01.01.2006 से कारपोरेशन के आदेश संख्या–5226–पें0 एवंआर0–28 / पाकालि / 09–60पी / 98 दिनांक 22.11.2010 के द्वारा शासनादेश संख्या–3–1358 / दस–2010 दिनांक 19.07.2010 एवं संख्या–सा–3–जी0आई0–02 / दस–2014–308 / 97टी0सी0 दिनांक 14.07.2014 को कारपोरेशन के आदेश सं0–500–पें0एवंआर0–28 / पाकालि / 15–60पी / 98 दिनांक 24.05.2015 अंगीकृत किये जाने के फलस्वरूप न्यूनतम पेन्शन / पारिवारिक पेंशन संलग्न तालिकानुसार निर्धारित किये जाने के आदेश निर्गत किये गये थे।

2. उ0प्र0 शासन के द्वारा उक्त शासनादेश संख्या–सा–3–जी0आई0–02 / दस–2014–308 / 97टी0सी0 दिनांक 14.07.2014 को संशोधित करते हुये कार्यालय ज्ञाप संख्या–सा–4 / 2016 / सा–75 / दस–2016–308 / 97 टी0सी0 दिनांक 21.01.2016 में दी गयी व्यवस्था को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में इस प्रतिबन्ध के साथ अंगीकृत करने का निर्णय लिया गया है कि इन आदेशों के अन्तर्गत न्यूनतम पेंशन / पारिवारिक पेंशन की राशि का निर्धारण किये जाने के फलस्वरूप कारपोरेशन के पेन्शनरों / पारिवारिक पेन्शनरों से कोई वसूली नहीं की जायेगी।

3. तद्नुसार उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में दिनांक 01.01.2006 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन के सम्बन्ध में अब लागू न्यूनतम पेन्शन / पारिवारिक पेन्शन की दरों के विवरण की तालिका अनुलग्नक–क के रूप में संलग्न है; जिसके अनुसार न्यूनतम पेन्शन एवं न्यूनतम पारिवारिक पेन्शन निर्धारित की जानी है।

4. उपर्युक्त प्रस्तर 3 में इंगित तालिका में दी गयी पेंशन/पारिवारिक पेंशन की दरें दिनांक 01.01.06 से उन पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों पर लागू होंगी जिनको वास्तविक वेतनमान/समयबद्ध वेतनमान अनुमन्य हुए हैं, परन्तु कारपोरेशन के तृतीय समयबद्ध वेतनमान के उच्चीकरण आदेश सं0–981–काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि दिनांक 14.08.10 एवं स्पष्टीकरण आदेश सं0–1094–काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि/10 दिनांक 01.09.10 के प्रस्तर–3 के अनुसार पेंशन/पारिवारिक पेंशन का वास्तविक लाभ पेंशनरों एवं पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक 20.07.10 से प्रकल्पित वेतन के आधार पर अनुमन्य होगा।

5. शासन द्वारा विषयगत प्रकरण में जारी शासनादेश संख्या–22/2016–सा–3–342/दस–2016–308/97टी0सी0 दिनांक 05.07.2016 (प्रतिलिपि संलग्न) में प्रतिपादित व्यवस्था के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि इन आदेशों के साथ संलग्न प्रस्तर 3 में इंगित तालिका में विभिन्न वेतनमानों के सम्मुख अंकित पुनरीक्षित न्यूनतम पेंशन की धनराशि में प्रो–रेटा कमी नहीं की जायेगी, भले ही पेंशनर की अर्हकारी सेवा 33 वर्ष से कम रही हो। यह व्यवस्था उक्त शासनादेश के जारी होने के दिनांक 05.07.16 से प्रभावी होगी। इस आदेश के अनुसार न्यूनतम पेंशन के संशोधन के फलस्वरूप दिनांक 05.07.2016 के पूर्व के एरियर का भुगतान देय नहीं होगा।

6. उपरोक्त के फलस्वरूप पूर्व में निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या–5226–पें0एवंआर0–28/पाकालि/09–60पी/98 दिनांक 22.11.2010 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या–5350–पें0एवं आर0–28/पाकालि/09–60पी0एण्डआर0/98 (टी0सी0) दिनांक 14.12.2010 एवं सं0–500–पें0एवंआर0–28/पाकालि/15–60पी/98 दिनांक 24.05.2015 उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेगें। उपरोक्त कार्यालय ज्ञापों की अन्य शर्तें यथावत् रहेगी।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्या : 991 –पें0एवंआर0–28/पाकालि/16 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, कक्ष संख्या–148, प्रथम तल, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।

8. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पूर्वान्चल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा/केस्को–कानपुर/ट्रान्सको, लखनऊ।
9. समस्त निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
10. समस्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/विद्युत वितरण कम्पनियाँ।
11. पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
12. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत)/विधि अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
13. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/विद्युत वितरण कम्पनियाँ।
14. समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
15. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी(पेंशन), लखनऊ को 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
16. सचिव, पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
17. कम्पनी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को निदेशक मण्डल की 126वीं बैठक की एजेण्डा संख्या 126/14 के सन्दर्भ में।
18. अध्यक्ष, विद्युत पेंशनर्स परिषद, 103–कीर्ति शिखर अपार्टमेन्ट, छितवापुर भुईयन, 12–आफ स्टेशन रोड़, लखनऊ।
19. महामंत्री, विद्युत पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन (उ0प्र0), 86/92ख, रिसालदार पार्क, लखनऊ।
20. अध्यक्ष, फेडरेशन आफ यू0पी0, पेंशनर्स एसोसिएशन, 18–बी, सेक्टर–ए, महानगर, लखनऊ।
21. प्रबन्धक (सी0पी0पी0सी0), सेन्ट्रलाइज्ड पेंशन प्रोसेसिंग सेन्टर पंजाब नेशनल बैंक हलवासिया मार्केट, लखनऊ।
22. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या–407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
23. कट फाईल।

आज्ञा से,

(उमेश गुप्त)
संयुक्त सचिव (अरा0)

अनुलग्नक-5

कार्यालय ज्ञाप संख्या- 991 -पें0एवंआर0-28/पाकालि/10-60-पी-98 टी0सी0-1 दिनांक 07.10.2016 का संलग्नक-05

क0सं0	परिषद के अपुनरीक्षित वेतनमान 01.04.1984 से लागू	01.01.96 से लागू अपुनरीक्षित वेतनमान	01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतन बैण्ड	सादृश्य ग्रेड वेतन	कार्यालय ज्ञाप सं0-5226 दिनांक 22.11.10 द्वारा निर्धारित न्यूनतम पेंशन	संशोधित न्यूनतम पेंशन	संशोधित न्यूनतम पारिवारिक पेंशन
	1	2	3	4	5	6	7
1	900-15-960-20-1040-25-1190	3050-75-3950-80-4590	वेतन बैण्ड-1 5200-20200	1900	3865	3890	3500
2	1000-20-1080-25-1180-30-1360	3200-85-4900	वेतन बैण्ड-1 5200-20200	2000	4230	3980	3500
3	1100-25-1225-30-1375-40-1575	3500-85-5455	वेतन बैण्ड-1 5200-20200	2200	4355	4355	3500
4	1200-30-1350-40-1550-50-1800	4200-100-6400(यांत्रिक संवर्ग के लिये प्रारम्भिक वेतन 4300/-)	वेतन बैण्ड-1 5200-20200	2600	5300	5210	3500
5	1350-40-1550-50-1800-60-2160	4500-125-7500(यांत्रिक संवर्ग के लिये प्रारम्भिक वेतन 4625/-)	वेतन बैण्ड-1 5200-20200	3000	5805	5685	3500
6	1650-50-2000-60-2120-2240-75-2690	5300-150-8600(अवर अभियन्ताओं को छोड़कर)	वेतन बैण्ड-2 9300-34800	4200	7030	7030	4218
7	1650-50-2000-60-2240-75-2690	5300-150-5600-175-9100(अवर अभियन्ताओ संवर्ग के लिए प्रारम्भिक वेतन 5600/-)					
8	1850-50-2000-60-2180-75-2930	5850-175-9000-200-9400	वेतन बैण्ड-2 9300-34800	4200	7030	7545	4527
9	1800-60-2100-द0रो0-75-2850-100-3150	6000-200-10400	वेतन बैण्ड-2 9300-34800	4200	7030	7680	4608
10	2225-75-2900-द0रो0-100-3500	6500-200-10500-250-11000	वेतन बैण्ड-2 9300-34800	4800	9075	8445	5067
11	2600-75-2900-100-3300-द0रो0-100-3500-125-4750	8550-275-13500(अभियन्ता संवर्ग के लिये प्रारम्भिक वेतन 9375/-)	वेतन बैण्ड-3 15600-39100	5400	10500	10655	6393
12	3400-100-3500-125-4500-द0रो0-125-4750	10650-325-15200(अभियन्ता संवर्ग के लिये प्रारम्भिक वेतन 11300/-)	वेतन बैण्ड-3 15600-39100	6600	12675	13205	7923

308/ 97, दिनॉक 14-07-2014 तथा कायोलय-ज्ञाप सख्या-4/ 2016-सा-3-

13	4250–125–5000–150–5600	14300–400–18300(अभियन्ता संवर्ग के लिये प्रारम्भिक वेतन 15100/–)	वेतन बैण्ड–4 37400–67000	8700	23050	23050	13830
14	5000–150–5900–200–6300	16400–450–20000(अभियन्ता संवर्ग के लिये प्रारम्भिक वेतन 17300/–)	वेतन बैण्ड–4 37400–67000	8900	24550	24295	14577
15	5900–200–7100	18400–500–224000(अभियन्ता संवर्ग के लिये प्रारम्भिक वेतन 18900/–)	वेतन बैण्ड–4 37400–67000	10000	26500	27350	16410
16	6700–200–7500	21350–525–23975	63000–78000	–	31500	31500	18900
17		22400–525–24500	67000–79000	–	33500	33500	20100

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त(सामान्य)अनुभाग-3
संख्या-22/ 2016/ सा-3-342/ दस-2016-308/ 97 टी0सी0
लखनऊ : दिनाँक : 05 जुलाई, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

विषय:- दिनाँक 01-01-2006 के पूर्व के पेंशनरों की पुनरीक्षित पेंशन को 33 वर्ष की अर्हकारी सेवा से डी-लिंक किया जाना।

कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा- 3- 1515/ दस- 2008- 308/ 97, दिनाँक 08-12-2008 के प्रस्तर-4(1) में यह व्यवस्था की गयी है कि दिनाँक 01-01-2006 के पूर्व के पेंशनरों की दिनाँक 01-01-2006 से पुनरीक्षित पेंशन की धनराशि, सेवानिवृति के समय उसके वेतनमान के प्रतिस्थापन पे-बैण्ड के न्यूनतम तथा ग्रेड-पे के योग के पचास प्रतिशत से कम नही होगी परन्तु जहाँ अर्हकारी सेवा 33 वर्ष से कम रही हो, ऐसे मामलों में न्यूनतम पेंशन की राशि अनुपातिक रूप से कम कर दी जायेगी किन्तु किसी भी दशा में यह रू0 3500/ - प्रति माह से कम नही होगी।

2- कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-3-1358/ दस-2010, दिनाँक 19 जुलाई, 2010 के साथ संलग्न तालिका में उल्लिखित न्यूनतम पेंशन की धनराशियाँ का कार्यालय-ज्ञाप संख्या- सा - 3 - जी0 आई0 -02/ दस-2014-308/ 97, दिनाँक 14-07-2014 तथा कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 4/ 2016- सा -3-75/ दस-2016-308/ 97, दिनाँक 21-01-2016 द्वारा संशोधित की गयी है, के प्रस्तर-2 में भी इसी आशय का प्रतिबन्ध उल्लिखित है। दिनाँक 19-07-2010 के कार्यालय-ज्ञाप के संलग्नक में अंकित दिनाँक 01-01-2006 से न्यूनतम पेंशन की धनराशियाँ कार्यालय-ज्ञाप संख्या- सा -3- जी0 आई0 -02/ दस-2014-308/ 97, दिनाँक 14-07-2014 तथा कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/ 2016-सा-3-75/ दस-2016-308/ 97, दिनाँक 21-01-2016 द्वारा संशोधित की जा चुकी है।

--2/ -

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- भारत सरकार के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-38/ 37/ 08/ पी एण्ड पी डब्ल्यू (ए), दिनाँक 06-04-2016 के प्रस्तर-6 में यह व्यवस्था की गयी है कि "कि 2006 से पूर्व सेवानिवृत्त हुये पेंशन भोगियों की संशोधित समेकित पेंशन, उनकी सेवानिवृत्ति के समय 33 वर्ष से कम अर्हक सेवा होने के बावजूद, पेंशन को यथानुपात घटाए बिना निर्धारण तालिका (फिटमेंट टेबल) के अनुसार, संशोधन पूर्व वेतनमान के तदनुरूपी वेतन बैण्ड में वेतन और ग्रेड-पे (जहाँ लागू हो) में न्यूनतम वेतन के 50 प्रतिशत से कम नही होनी चाहिए।"

4- भारत सरकार के उपरोक्त कार्यालय-ज्ञाप दिनाँक 06-04-2016 में दी गयी उपर्युक्त व्यवस्था के क्रम में राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि कार्यालय-ज्ञाप संख्या-5/ 16-सा-3-75/ दस-2016-308/ 97 टी0सी0, दिनाँक 21-01-2016 के संलग्नक में विभिन्न वेतनमानों के सम्मुख अंकित पुनरीक्षित न्यूनतम पेंशन की धनराशि में प्रो-रेटा कमी नही की जायेगी, भले ही पेंशनर की अर्हकारी सेवा 33 वर्ष से कम रही हो। इन आदेशों के अन्तर्गत पेंशन पुनरीक्षण इस शासनादेश के संलग्नक में दिये उदाहरण द्वारा समझाया गया है ।

5- शासनादेश संख्या-सा-3-1515/ दस-2008-308/ 97, दिनांक 08-12-2008 तथा तदविषयक अन्य उपरिसंदर्भित आदेश इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

6- यह व्यवस्था तात्कालिक प्रभाव से लागू होगी। इन आदेशों के अनुसार न्यूनतम पेंशन के संशोधन के फलस्वरूप एरियर का भुगतान देय नहीं होगा ।

7- इन आदेशों के अन्तर्गत पेंशन का संशोधन वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-सा-3-1541/ दस-2008-308/ 97 टी0सी0, दिनांक 07-01-2009 की व्यवस्था अनुसार उस कोषागार द्वारा किया जायेगा जहां से पेंशनर अपनी पेंशन प्राप्त कर रहा है।

8- कृपया उपयुक्तानुसार कार्यवाही तत्परता से सुनिश्चित की जाये।

<u>संलग्नक: यथोक्त।</u>

अजय अग्रवाल
सचिव, वित्त।

--3/ -

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-22/ 2016/ सा-3-342(1)/ दस-2016-308/ 97 टी0सी0, तद्‌दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सचिवालय के समस्त अनुभाग।

2- सचिव, विधान सभा/ विधान परिषद, विधान भवन, लखनऊ।

3- प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

4- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

5- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

6- निदेशक, पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

7- निदेशक, वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान, 24/ 3, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

8- समस्त मण्डलीय, अपर / संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उत्तर प्रदेश।

9- मुख्य लेखाधिकारी, पुलिस मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

10- मुख्य लेखाधिकारी, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

11- उप भूमि व्यवस्था आयुक्त (लेखा), राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

12- इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ।

13- निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

14- निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार

विशेष सचिव।

--4/ -

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या- 22/ 2016/ सा-3-342(1)/ दस-2016-308/ 97 टी0सी0, दिनांक 05 जुलाई, 2016 का संलग्नक

उदाहरण :

(1) मान लिया जाये कि दिनांक 01-01-2006 के पूर्व कोई व्यक्ति दिनांक 31-12-2004 को रू0 10000-325-15200 के वेतनमान में रू0 15200 के वेतन पर सेवानिवृत्त होता है। उसकी अर्हकारी सेवा 15 वर्ष की है तथा अन्तिम दस मासों की औसत परिलब्धियां रू0 15200 है । दिनांक 01-01-2005 को उस व्यक्ति की पेंशन रू0 3455 (15200÷2)x(15÷33) निर्धारित होगी। दिनांक 01-01-2006 को समेकन तालिका के अनुसार संशोधित पेंशन रू0 7809 होगी। कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 21-01-2016 की व्यवस्थानुसार रू0 10000-325-15200 के वेतनमान के तदनुरूपी वेतन बैण्ड रू0 15600-39100 ग्रेड वेतन रू0 6600 के सापेक्ष दिनांक 01-01-2006 से अनुमन्य न्यूनतम पेंशन रू0 12600 है जिसे पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत अर्हकारी सेवा के आधार पर अनुपातिक रूप से कम कर दिये जाने पर अनुमन्य पेंशन रू0 5727 (12600 x15÷33) होती है जो समेकन के फलस्वरूप पुनरीक्षित पेंशन रू0 7809 प्रति माह से कम है । अत: उस व्यक्ति की पुनरीक्षित पेंशन रू0 7809 प्रति माह ही रहेगी । अब प्रस्तावित व्यवस्था जिसमें न्यूनतम पेंशन की राशि में अनुपातिक कमी नहीं की जाती है, के अनुसार प्रकरण में दिनांक 01-01-2006 से अनुमन्य संशोधित पेंशन रू0 12600 हो जायेगी ।

(2) मान लिया जाये कि दिनांक 01-01-2006 के पूर्व कोई व्यक्ति दिनांक 31-12-2004 को रू0 10000-325-15200 के वेतनमान में रू0 15200 के वेतन पर सेवानिवृत्त होता है। उसकी अर्हकारी सेवा 30 वर्ष की है तथा अन्तिम दस मासों की औसत परिलब्धियां रू0 15200 है। दिनांक 01-01-2005 को उस व्यक्ति की पेंशन रू0 6909 (15200÷2)x(30÷33) निर्धारित होगी। दिनांक 01-01-2006 को समेकन तालिका के अनुसार संशोधित पेंशन रू0 15616 होगी। कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 21-01-2016 की व्यवस्थानुसार रू0 10000-325-15200 के वेतनमान के तदनुरूपी वेतन बैण्ड रू0 15600-39100 ग्रेड वेतन रू0 6600 के सापेक्ष दिनांक 01-01-2006 से अनुमन्य न्यूनतम पेंशन रू0 12600 है । इस प्रकरण में दिनांक 01-01-2006 को समेकित पेंशन की राशि न्यूनतम पेंशन से अधिक होने के कारण पेंशनर को रू0 15616 मासिक पेंशन प्राप्त होती रहेगी ।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।